



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275573
CG-DL-E-19082026-275573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4349]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4349]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4529(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के "महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 63 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 548-सी पर कुसळंब से शुरू होने वाले कुसळंब – पांगरी – येडशी – मुरुड – लातूर मार्ग का चार लेन (दोनों ओर पक्के कंधों सहित) सड़क में पुनर्वास और उन्नयन करने के लिए (पैकेज-II : कुसळंब कि.मी. 0/600 से येडशी कि.मी. 020/470 तक) आवश्यक भूमि अधिग्रहण", , प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी धाराशीव को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 63 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 548-सी पर कुसळंब से शुरू होने वाले कुसळंब – पांगरी – येडशी – मुरुड – लातूर मार्ग का चार लेन (दोनों ओर पक्के कंधों सहित) सड़क में पुनर्वास और उन्नयन करने के लिए (पैकेज-II : कुसळंब कि.मी. 0/600 से येडशी कि.मी. 020/470 तक) आवश्यक भूमि अधिग्रहण तक।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)					
गांव का नाम: येडशी					
1	104	निजी	जिरायत	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
2	106	निजी	जिरायत	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
3	107	निजी	जिरायत	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
4	108	निजी	जिरायत	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
5	113	निजी	जिरायत	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
6	114	निजी	जिरायत	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
7	115	निजी	जिरायत	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
8	116	निजी	जिरायत	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
9	117	निजी	जिरायत	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
10	118	निजी	जिरायत	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
11	119	निजी	जिरायत	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
12	848	निजी	जिरायत	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
13	849	निजी	जिरायत	0.62 (हेक्टेयर)	0.62
Total					2.92

[फा. सं. RW/NH/12014/170/2017-MAH(Zone-IV)/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4529(E) .— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Land acquisition for Rehabilitation and Upgradation for the 4 lane with paved shoulder configuration for NH-63 starting from NH-548-C near Kuslamb – Pangari – Yedshi – Murud – Latur (PKG – II Kuslamb from km 000/600 to Yedshi 020/470) in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Dharashiv in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land acquisition for Rehabilitation and Upgradation for the 4 lane with paved shoulder configuration for NH-63 starting from NH-548-C near Kuslamb – Pangari – Yedshi – Murud – Latur (PKG – II Kuslamb from km 000/600 to Yedshi 020/470) in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Dharashiv (OSMANABAD)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dharashiv (OSMANABAD)					
Village: Yedshi					
1	104	Private	Dry	0.12 (Hectare)	0.12
2	106	Private	Dry	0.1 (Hectare)	0.1
3	107	Private	Dry	0.1 (Hectare)	0.1
4	108	Private	Dry	0.3 (Hectare)	0.3
5	113	Private	Dry	0.15 (Hectare)	0.15
6	114	Private	Dry	0.05 (Hectare)	0.05
7	115	Private	Dry	0.1 (Hectare)	0.1
8	116	Private	Dry	0.25 (Hectare)	0.25
9	117	Private	Dry	0.05 (Hectare)	0.05
10	118	Private	Dry	0.7 (Hectare)	0.7

11	119	Private	Dry	0.03 (Hectare)	0.03
12	848	Private	Dry	0.35 (Hectare)	0.35
13	849	Private	Dry	0.62 (Hectare)	0.62
Total					2.92

[F. No. RW/NH/12014/170/2017-MAH(Zone-IV)/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director